TWENTY RUPEES

EP-३९/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प- सागर म॰प्र॰

प्रेमचंद पिता हेमचंद जैन उम्र लगभग -45 वर्ष A-7019-II-16

निवासी रजाखेड़ी तहसील - सागर

हाल निवासी- वर्णी कालोनी- सागर (म॰प्र॰)

---अपीलार्थी

B.O.R.

27 JAN 2016

// विरुद्ध //

म0 प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प- सागर

--प्रतिअपीलार्थी-

अपील प्र0 क्र0- दिनांक-

अपील अन्तर्गत धारा -47(क) चार भारतीय मुद्रांक अधिनियम-

अपीलार्थी निम्न न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर आफ स्टाम्प- सागर म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक-246-बी-105/94-95 के पारित आदेश दिनांक-4-2-2005 एवं न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर ,सागर संभाग- सागर म0प्र0 अपील प्रकरण क्रमांक-284/बी-105/2011-2012 के पारित आदेश दिनांक- 8 सितम्बर-2015 से दुखित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं :-

07
27-01-16

उक्त अपील- निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत हैं :-

1- अपीलार्थी का नाम :- प्रेमचंद पिता खेमचंद जैन आयु लगभग-45 वर्ष

2- लिखित के निष्पादन:- 1- नारायण प्रसाद आयु लगभग 48वर्ष
का नाम व पता :- वल्द श्री गिरधारीलाल पटैल
साकिन- तिलकगंज वार्ड इंडियन गैस एजेन्सी, के आगे कुलिया में, तह0 व जिला- सागर

3- लिखित के खरीददारी का- श्री- प्रेमचंद जैन आयु 36 वर्ष तनय श्री-
नाम व पता :- खेमचंद जैन साकिन- रजाखेड़ी मंदिर के पास, पो0 आ0 मकरोनिया तह0 व जिला-सागर हाल निवासी- उपकार एजेन्सी वर्णीकालोनी सागर तहसील व जिला- सागर

27/1/2016

4- लिखित की तारीख व - 31/5/1994 बैनामा भूमि असिंचित एक-

A 7019-II/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	प्रेमचन्द 24489 कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.16	मैंने प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभिलेख का परिशीलन किया। रा.मं. के समक्ष यह अपील अपर आयुक्त, सागर के आक्षेपित आदेश दि. 8.9.15 के विरुद्ध दि. 27.1.16 को प्रस्तुत हुई। विलम्ब से प्रस्तुतिकरण के कारण धारा 5 का आवेदन अधिवक्ता द्वारा साथ में दिया गया। इस आवेदन में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि आक्षेपित आदेश पारित होने के 2-3 दिन बाद उन्हें उसकी जानकारी मिल गई थी, किन्तु अस्वस्थ रहने, बाहर जाने और पक्षकार से सम्पर्क नहीं होने के कारण वे अपील समयसीमा में प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने अस्वस्थ रहने, बाहर जाने या पक्षकार से सम्पर्क का प्रयास करने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अतः, इन कारणों को विलम्ब माफी हेतु समाधानकारक नहीं माना जा सकता। यदि पक्षकार द्वारा स्वयं आक्षेपित आदेश की जानकारी प्राप्त करने एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रयास किए गए हों, तो उनके सम्बन्ध में भी आवेदन मूक है। अपील के विलम्ब से प्रस्तुतिकरण की स्थिति में प्रतिदिन के विलम्ब के कारण स्पष्ट किए जाना अपेक्षित है। यहाँ ना केवल ऐसे स्पष्टीकरण का अभाव है, बल्कि समर्थन हेतु बगैर किन्हीं भी अभिलेख या अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए, सरसरी तौर पर सामान्य प्रकार के कारणों से विलम्ब होना लिख दिया गया है। यह स्वीकार्य नहीं है। अतः बगैर समाधानकारक कारणों के विलम्ब की वजह से यह प्रकरण अग्राह्य कर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। दा.द. हो।	

गाक्षेमुर्वा—320—फॉर्म—21-9-12—5,000 प्रपत्र

(सदस्य)